न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—32 / 2017 / 225 (2017 / 00032)

1. श्रीमती बरदी पत्नि रामा,
2. रतनी पत्नी स्व0 प्रहलाद,
3. सावरा पुत्र स्व0 प्रहलाद,
4. रामसहाय पुत्र स्व0 प्रहलाद (जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता रतनी पत्नी प्रहलाद)
5. रामदेव पुत्र रामा,
6. छोटू पुत्र रामा,

समस्त जाति धाकड़, निवासी बिलावटिया खेड़ा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र भूरा,
2. सुखलाल पुत्र रामचन्द्र,
3. विनोद पुत्र सुखलाल,
4. रसाल पत्नी सुखलाल,
5. रामेश्वरी पत्नि विनोद,

समस्त जाति धाकड़, निवासी बिलावटीयाखेड़ा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

7. कमलेश पुत्र प्रहलाद, जाति धाकड़, नि0 बिलावटीया खेडा, तह0 सरवाड़ जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, दिनांक 20.1.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 111 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री आर0पी0शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6.
4. रेस्पो0 संख्या 1, 3, 4, 5, 7 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 25.08.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 20.1.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. अपीलांटस/वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिलावटीया खेडा, तह0 सरवाड़ की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में खाता संख्या नई 75 पुरानी 60 के खसरा नंबर 126 रकबा 2–11–00 बीघा किस्म माल–3 भूमि अवस्थित है । उक्त आराजी अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 की खातेदारी की आराजियात है तथा कब्जा काश्त अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 का निरन्तर चला आ रहा है। रेस्पोडेंटस का विवादित आराजी से किसी प्रकार का वास्ता, सरोकार व हक अधिकार नहीं है । रेस्पो0 नाजायज व अनाधिकृत तरीके से अपनी लाठी की ताकत पर अपीलांटस की खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा कर अपीलांटस को बेदखल करना चाहते है तथा अपीलांटस के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 20.1.2017 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 के समक्ष यह तथ्य प्रमाणित था कि अपीलांटस व प्रफोर्मा रेस्पो0 वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में आराजी अपीलांटस की खातेदारी में दर्ज है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारीज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत एक तहरीर अपंजीकृत दस्तावेज था जिसे अधी0न्याया0 ने प्रमाणित मानते हुए रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 ने आराजी को श्री मंदिर मूर्ति महादेव जी महाराज को भेंट करने का कथन किया लेकिन उक्त दिनांक को रेस्पो0 संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं था इसलिये उक्त आराजी को भेंट करने का प्रश्न ही नहीं था । वादग्रस्त आराजी अपीलांटस की खातेदारी की आराजी है तथा गिरदावरी भी अपीलांटस के पक्ष में हल्का पटवारी द्वारा जारी की गई है जो कब्जे के बाबत् सुसंगत दस्तावेज है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत बही में लिखतम को आधार मानकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जकि उक्त दस्तावेज पर रामा के हस्ताक्षर कहीं भी नहीं है । बही खाते में रामा बेटा प्रहलाद पुत्र सुखा धाकड़ लिखा हुआ है जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि रामा का बेटा प्रहलाद है अथवा सुखा का बेटा प्रहलाद है । बही में लिखतम व हस्ताक्षर दोनों ही भ्रमपूर्ण स्थिति प्रकट करते है । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र पटवारी की फर्जी कब्जा रिपोर्ट के आधार पर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विधि का यह प्रावधान है कि खातेदार काश्तकार ही वास्तविक आराजी का मालिक होता है । गिरदावरी ही खातेदार काश्तकार के कब्जे का मुख्य प्रमाण माना जाता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा वाद के

अंतिम निर्णत तक रेस्पो0 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस मे निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजी को वादीगण के पिता/दादा/ससुर/पति ने श्रावण बुदी तीज संवत् 2043 को 7500/—रू0 में प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय किया था जिसकी बेचाननामा की तहरीर प्रतिवादी संख्या 1 की खाताबही में अंकित है । उक्त राशि रामा व उसके पुत्र प्रहलाद ने प्रतिवादी संख्या 1 से घर खर्च हेतु उधार ली थी । उक्त क्रय के रोज ही विवादित आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 ने ग्राम बिलावटीया खेडा में स्थित मंदिर मूर्ति महादेव जी की सेवा अर्चना पूजा हेतु उक्त भूमि को मंदिर में भेंट कर दी थी तब से ही उक्त आराजी पर मंदिर मूर्ति महादेव जी के पुजारी बालू पुत्र नारायण दास द्वारा काश्त कर उससे प्राप्त उपज से मंदिर मूर्ति की सेवा अर्चना में होने वाले खर्च के उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है । उक्त आराजी एकमात्र मंदिर मूर्ति महादेवजी के कब्जे आधिपत्य की है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नही है । बहस में आगे कथन किया अपीलांटस द्वारा विवादित आराजी से मंदिर मूर्ति महादेव जी के पुजारी को बेदखल करने का प्रयास किया गया जिस पर तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा मौके की जांच रिपोर्ट तलब की गई । उक्त मौका रिपोर्ट में भी कब्जा काश्त अपीलांटस का नहीं माना गया है । अपीलांटस द्वारा धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत वादपत्र ही संधारण योग्य नहीं है क्योंकि विवादित आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त न होकर रेस्पो0 का कब्जा काश्त है । विवादित आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नही होने से अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा वाद अंतर्गत धारा राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया गया तथा साथ में प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया था । अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि दावा दायरी के रोज विवादित आराजी पर अपीलांटस/प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है । कब्जे के संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार व मौका पर्चा दिनांक 9.9.2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर कब्जा मंदिर महादेव पुजारी का हैं। उक्त मौका पर्चा पर पटवारी /गिरदावरी के साथ—साथ ग्राम के मौतबिरान व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि यदि कोई पक्षकार दावा दायरी के रोज विवादित भूमि पर काबिज न हो तो ऐसे पक्षकार जो कि उस रोज भूमि पर काबिज हो, के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विवादित आराजियात में अपीलांटस को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है, रेस्पो0 संख्या 1 को विवादित भूमि मंदिर मूर्ति महादेव जी को भेंट करने का अधिकार था अथवा नहीं ?, इन सब तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य तय किये जावेगें किन्तु वर्तमान में विवादित आराजियात पर प्रार्थीगण/अपीलांटस का कब्जा होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं पाये जाने से विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश में हमें कोई विधिक त्रुटि कारित किया जाना

प्रतीत नही होता है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलतन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.1.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर